उत्तर प्रदेश
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

BUILDING & OTHER CONSTRUCTION WORKER'S WELFARE BOARD

BOCW

UTTAR PRADESH

कार्यालय

उत्तर प्रदेश

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

द्वितीय तल, ए एण्ड डी ब्लाक, किसान मण्डी भवन

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

टोल फ्री नं.-1800 180 5412

फोन नं0-0522-2344000-01, फैक्स नंबर-0522-2344002

वेबसाइट-www.upbocw.in

श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

क्र0 सं0	योजना का नाम	देय हितलाभ
1	मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना	1) मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू. 6,000/– एकमुश्त देय, महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू.1,000/– चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा । 2) शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू. 20,000/– तथा पुत्री होने पर रू. 25,000/– प्रति शिशु की दर से अधिकतम प्रथम दो बच्चों तक देय होगा । 3) परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा अथवा कानूनी रुप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रु. 25,000 व जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में रु. 50,000 की सावधि जमा 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नही।
2	सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना–(RSPY)	2) कक्षा 1 से 5 तक रू. 2,000/– एकमुश्त, 6 से 10 तक रू. 2500/– एकमुश्त, कक्षा 11 व 12 रू. 3,000/– एकमुश्त, स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष रू. 12,000/– एकमुश्त, आई. टी. आई., पॉलिटेक्निक रू 12,000/– एकमुश्त, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु रू. 24,000/– एकमुश्त देय। 3) कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को केवल एक बार ही साइकिल क्रय किये जाने हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अनुमन्य होगी। 4) हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 70 प्रतिशत अंको के साथ, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने तथा अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में प्रोत्साहन के रुप में क्रमशः बालकों को रू. 5,000/–, बालिकाओं को रू. 8,000/– एवं बालकों को रू. 10,000/–, बालिकाओं को रू. 12,000/– अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त देय होगी।
3	अटल आवासीय विद्यालय योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की निःशुल्क सुविधा।
4	कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना	श्रमिक या उसके पुत्र/पुत्री के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण काल में श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान।
5	कन्या विवाह सहायता योजना	श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु रू. 55,000/–एवं अर्न्तजातीय विवाह में रू. 61,000/– प्रति विवाह अनुदान दो पुत्रियों के विवाह हेतु एवं सामुहिक विवाह की स्थिति में रू. 65,000/– का अनुदान एवं वर–वधु की पोशाक हेतु रू. 10, 000/–
6	शौचालय सहायता योजना	श्रमिकों को उनके स्वयं के आवास पर शौचालय निर्माण हेतु रू. 12,000/– दो किश्तों में।

7	गंभीर बीमारी सहायता योजना	यह योजना "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना" तथा "मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" में आच्छादित नहीं हो पाने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है, उक्त योजनाओं में उल्लिखित सभी बीमारियों की स्थिति में स्वयं / पत्नी / पति (जैसा भी स्थिति हो) / आश्रित अविवाहित पुत्रियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता / पिता का किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय अथवा ऐसे चिकित्सालयों जिन्हें "आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" की नेशनल हेल्प अथॉरिटी अथवा राज्य स्तर पर कार्यदायी संस्था SACHIS द्वारा अपने पैनल पर रखा गया है, में कराये गये इलाज के व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
8	महात्मा गाँधी पेंशन योजना	निर्माण श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं तत्समय पूर्ववर्ती 10 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करने पर रू.1,000 / – की आजीवन मासिक पेंशन।
9	निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDS)	पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि व्यय रु. 25,000 / – एकमुश्त भुगतान किया जायेगा तथा रु. 5,00,000 / – दुर्घटना मृत्यु व रु. 2,00,000 / – सामान्य मृत्यु पर प्रतिमाह किश्तों में पाँच व दो वर्ष तक स्वतः स्थानान्तरित की जाएगी। अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रु. 1,25,000 / – की स्वीकृति की जायेगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रु. 4,00,000 / – की धनराशि मासिक किश्तों में प्रतिमाह 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता में हितलाभ धनराशि रु. 3,00,000 / –, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ धनराशि रु. 2,00,000 / – मासिक किश्त स्वतः स्थानांतरित की जाएगी।

नोट:

1. सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये ही है। अंशदान नियमित रूप से जमा करायें। अंशदान जमा न होने पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
2. किसी पंजीकृत श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र/पुत्री के श्रमिक के रूप में कार्य करते पाए जाने पर सहायता नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में दी गई सहायता वापस ली जा सकती है।
3. किसी भी दलाल को कोई पैसा न दें। यदि कोई व्यक्ति लाभ दिलाने के लिये पैसे की मांग करता है। तो तत्काल उसकी शिकायत उप श्रमायुक्त / स्थानीय श्रम कार्यालय/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से करें।

श्रमिक पंजीकरण हेतु पात्रता एवं प्रक्रिया

- पंजीयन हेतु निर्माण श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पंजीकरण के समय श्रमिक को गत 12 माह में कम से कम 90 दिन तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना अनिवार्य है।
- पंजीयन शुल्क रू 20/- तथा वार्षिक अंशदान रू0 20/- प्रतिवर्ष देय है।
- निर्माण श्रमिक एक साथ 03 वर्ष का अंशदान रू0 60/- जमा करा सकते हैं।
- पंजीयन के समय आधारकार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक है।
- C.S.C. ई-डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, C.S.C. e-gov सेन्टर एवं बोर्ड की वेबसाइट (upbocw.in) से पंजीयन करा सकते है

निर्माण श्रमिक कौन.......................?

निम्नलिखित कार्य करने वाला श्रमिक निर्माण श्रमिक माना जायेगा।

1	वेल्डिंग का कार्य	21	चौकीदारी (निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए)
2	बढ़ई का कार्य	22	सभी प्रकार के पत्थर काटने, तोड़ने व पीसने का कार्य
3	कुआँ खोदना	23	लिपिकीय / लेखा-कर्म (किसी निर्माण अधिष्ठान, लिपिक व लेखाकार के रूप में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मकार के लिए।
4	रोलर चलाना	24	स्विमिंग पूल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया
5	छप्पर डालने का कार्य	25	बाँध, पुल, सड़क का निर्माण या भवन निर्माण के अधीन कोई संक्रिया।
6	राजमिस्त्री का कार्य	26	बाढ़ प्रबंधन व इसी प्रकार के अन्य कार्य से संबंधित सभी कार्य
7	प्लम्बरिंग	27	ठंडे एवं गरम मशीनरी की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य
8	लोहार	28	अग्निशमन प्रणाली की स्थापना एवं मरम्मत का कार्य
9	मोजैक पॉलिश	29	बड़ें यांत्रिक कार्य,जैसे मशीनरी, पुल निर्माण कार्य आदि।
10	सड़क निर्माण	30	मकानों/भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य।
11	मिक्सर चलाने का कार्य	31	खिड़की ग्रिल, दरवाजें आदि की गढ़ाई एवं स्थापना का कार्य
12	पुताई	32	रसोई में उपयोग हेतु माड्यूलर इकाइयों की स्थापना।
13	इलैक्ट्रिक वर्क	33	सामुदायिक पार्क या फुटपाथ का निर्माण
14	हथौड़ा चलाने का कार्य	34	ईंट भट्टों पर ईट निर्माण का कार्य
15	सुरंग निर्माण	35	मिट्टी, बालू, व मौरंग के खनन का कार्य
16	टाईल्स लगाने का कार्य	36	सुरक्षा द्वार एवं अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य।
17	कुंए से गाद (तलछट) हटाने का कार्य/डिविंग	37	लिफ्ट एवं स्वचलित सीढ़ी की स्थापना का कार्य
18	चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म	38	सीमेंट, कंक्रीट, ईट आदि ढोने का कार्य
19	स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क (सड़क निर्माण से सम्बद्ध)	39	मिट्टी का काम
20	मार्बल एवं स्टोन्स वर्क	40	चूना बनाना

उ0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

जिला कार्यालय

उप श्रम कल्याण आयुक्त लखनऊ क्षेत्र

23, ए. पी. सेन रोड, लखनऊ दूरभाष : 0522-4045241

C.S.C. ई-डिस्ट्रिक्ट सेन्टर , C.S.C. e-gov सेन्टर
एवं बोर्ड की वेबसाइट (upbocw.in) से पंजीयन करा सकते हैं।